फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी मुकाम– नसीराबाद

बनाम

राज0 काश्त0 अधि0 1955 प्रकरण संख्या 103 सन् –2023

किस्म मुकदमा :– 84/88 /136

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
[illegible]	अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पत्र पेश किया। वाद पत्र पर वकील वादी को सुना गया। वाद पत्र के साथ सलंग्न धारा 80 (2) सी.पी.सी. प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रकरण आवश्यक प्रकृति का है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 (2) सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है। वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली वास्ते इन्तजारी तलबी दिनांक 18.1.24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद 18.1.24 19.3.24	10271-75 26/12/23
19/3/24	वकील नाथे के माध्यम किस कि पत्रावली के मूल दस्तेयाब हो है प्रकरण में अतः कोई कार्यवाही नहीं चाहते है वकील वादी के दिये पर वाद वापस Proceed के स्वीकार किया जाता है पत्रावली समाप्त शुमार हो नकल देकर हो दाखिल दफ्तर है उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)	Noted

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.04.08 13:44:15 IST
Reason: SelfAttested